

महाराष्ट्र प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

देव्लम भवन,भोपाल-462004

কমান্ড- 1286772/2023/20-3
পরি,

મોપાલ, દિન 17/6/2023

संघिव
सी०बी०एस०इ०,
नई दिल्ली।

विषय:- अशाराकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वायत।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-सागर पब्लिक स्कूल, द्वारका धाम आरजीपीडी यूनिवर्सिटी के पास, एयरपोर्ट रोड वॉयपास भोपाल, जिला-भोपाल, म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैटान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से चर्चन पत्र लिया जाये।

(5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जायेगी।

(6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इच्छार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

Amit Khullar
PRINCIPAL
SAGAR PUBLIC SCHOOL
DWARKA DHAM, BHOPAL



निरन्जन...2

- (7) अध-अध्यात्रों को शालाओं में लगने वाली पुस्तके एवं लेखन सामग्री कुले बाजार से कह करने की सुविधा होगी। किसी दुकान विशेष से कह करने की बास्तवता नहीं होगी।
- (8) सरका के छात्रों को उनके बिहारी से विद्यालय तक लाने एवं वापिस मेजरे के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वेद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घोर्लू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में रक्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किसी पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की रेवा शर्तें जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की विधि में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार माव्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट माव्यता के समय दावाकृत किसी भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। रक्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय रक्कूल परिवार का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किसी मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को माव्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विविर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

Om khillan
PRINCIPAL
SAGAR PUBLIC SCHOOL
DWARKA DHAM, BHOPAL



अनुसारा करने हुए स्कूल की मालवासा विलंबित करने और पश्चातवर्ती
इसे तापिया लेने की सक्षित होगी।

उपर्युक्तानुसार शहरी का पालन ज करने पर जारी अलापत्ति प्रमाण पत्र
दिए जाएंगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ओ०ए०स०मण्डलोई)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक-३१८ /१२८६७७२/२०२३/२०-३ भोपाल, दि० १९/६/२०२३
प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०।
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल, म०प्र०।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संरथा-सागर पब्लिक स्कूल, ढारका धाम
आरजीपीढ़ी यूनिवर्सिटी के पास, एयरपोर्ट रोड वॉयपास भोपाल,
जिला-भोपाल, म०प्र०।
- (7) फोल्डर प्रति,
रुचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधेष्ठित।

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



Acti Khullan
PRINCIPAL
SAGAR PUBLIC SCHOOL
DWARKA DHAM, BHOPAL (Raj.)